


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

..... बनाम.....
 भरतलाल राधचंद्र कौरा
 प्रकरण सं. 2133 / 2025 तारीख रजू 23.5.2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
23.5.25	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण/ गैरसायलान को जर्ये रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 24.6.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ(अलवर)</p>	
24.6.25	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब पत्र शेष अप्रार्थी की तलबी हेतु दिनांक 10.7.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०</p>	<p>नरूल प्रार्थी की Signature</p>
10.7.25	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारण उपस्थित। पत्रावली वाले जवाब प्रार्थना पत्र 212 R1A दिनांक 05.8.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०</p>	
05.8.25	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारण उपस्थित। पत्रावली वाले जवाब प्रार्थना पत्र- 212 R1A अंतिम मौजा दिनांक 13.8.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
13.8.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वहील सार्थी उपस्थित। वहील सार्थी/वाली ने सार्थीना पत्र पेश कर अपना मूल काद खातिज करवा लिया है। अतः सार्थीना पत्र-212RTM के चलते जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः सार्थीना पत्र-212RTM की शर्त पर खातिज/शुप किया जाता है। पत्रावली के मूल शूमार होकर सम्बर से कम हो। वहील मूल काद के साथ संलग्न हो।</p>	<p>212RTM Ad-</p>


 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०